Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 201-2015] CHANDIGARH, MONDAY, NOVEMBER 30, 2015 (AGRAHAYANA 9, 1937 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 30th November, 2015

No. 20-HLA of 2015/91.— The Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2015, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 20- HLA of 2015.

THE HARYANA PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 2015

A

BILL

further to amend the Haryana Private Universities Act, 2006.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Haryana Private Universities (Amendment) Act, 2015. Short title.

2. In the Schedule to the Haryana Private Universities Act, 2006,- Amendment of Schedule to Haryana Act 32 of 2006.

(i) for serial number 2 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

"2 . The Northcap University District Gurgaon";

(ii) after serial number 18 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be added, namely:-

"19 . PDM University District Jhajjar".

Price : Rs. 5.00

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There is a need for creation and expansion of educational institutions for improving opportunities of higher education for the youth of the State. In order to accommodate the unprecedented growth of students in higher education, and also to cross the target of 30% gross enrolment ratio (GER), we need to roughly double the number of institutions at all levels by 2020. The Government intervention would not be adequate to meet this benchmark in higher education. We need to enlist the participation of private sector in a major way. Haryana Private Universities Act, 2006 has been brought essentially to rope in private sector to supplement the initiative of Government in expanding the capacity in higher education and upscaling its standards.

To achieve the objectives enshrined in the Act, proposal has been formulated for setting up of PDM University, Bahadurgarh at District Jhajjar.

Further, in order to allow the sponsoring body of ITM University, Gurgaon to change the name of the ITM University as "The Northcap University, Gurgaon" so that compliance of the orders of the Hon'ble Supreme Court can be made. As in that orders, it had been directed to ITM University to effect change of name within three months from the date of issue of orders. Henceforth, a proposal has been formulated to make amendment in the Schedule to the Haryana Private Universities Act, 2006.

Hence, this Bill.

RAM BILAS SHARMA,
Education Minister,
Haryana.

Chandigarh:
The 30th November, 2015.

RAJENDER KUMAR NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2015 dk fo/k;d la[;k 20-,p-,y-,-

gfj;k.kk futh fo'ofo|ky; ¼la'kks/ku½ fo/k;d] 2015

gfj;k.kk futh fo'ofo|ky; vf/kfu;e]
2006] dk vkxs la'kksf/kr
djus ds fy,
fo/k;d

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1- यह अधिनियम हरियाणा निजी विष्वविद्यालय (संषोधन) अधिनियम, 2015, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2- हरियाणा निजी विष्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की अनुसूची में,– 2006 का हरियाणा अधिनियम 32 की अनुसूची का संषोधन।

(i) क्रम संख्या 2 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

''2. नोरथकैप विष्वविद्यालय जिला गुड़गांव'';

(ii) क्रम संख्या 18 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :–

''19. पीडीएम विष्वविद्यालय जिला झज्जर''।

mnns';k ,oa dkj.kksa dk fooj.k

राज्य के युवाओं को उच्चतर षिक्षा में बेहतर अवसर प्रदान करने हेतू षैक्षणिक संस्थाओं की संरचना और विस्तार की आवष्यकता है। उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों की अप्रत्याशित वृद्धि को समायोजित करने की व्यवस्था में और 30% सकल चिट्ठा अनुपात प्राप्त करने के लिए हमें सभी स्तरों पर वर्ष 2020 तक संस्थाओं की संख्या में मोटे तौर पर दोहरी वृद्धि करने की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं होगा। हमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को एक प्रमुख रूप में षामिल करने की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा और इसके मानकों के पैमाने की क्षमता का विस्तार करने में सरकार की पहल के अनुपूरक में हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को अनिवार्यतः लाया गया।

इसके अतिरिक्त अधिनियम में वर्णित उद्देष्यों की प्राप्ति हेतू जिला झज्जर में पी0डी0एम0 विष्वविद्यालय, बहादुरगढ़ स्थापित करने के उद्देष्य से एक प्रस्ताव का प्रतिपादन किया गया है ।

इसके अतिरिक्त, आई0टी0एम0 विष्वविद्यालय, गुड़गांव का नाम ''द नार्थकैप विष्वविद्यालय, गुड़गांव'' बदलने के लिए आई0टी0एम0 विष्वविद्यालय, गुड़गांव के प्रायोजन निकायों को अनुमति देना ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेषों की अनुपालना हो सके। चूंकि उन आदेषों में आई0टी0एम0 विष्वविद्यालय को निर्देष दिए गए थे कि आदेष जारी होने की तिथि के तीन महीने के भीतर नाम बदलना कार्यान्वित हो। अतः हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के अनुबन्ध में संषोधन करने के लिए एक प्रस्ताव का प्रतिपादन किया गया है ।

अतः बिल प्रस्तुत है ।

राम बिलास षर्मा,
षिक्षा मंत्री,
हरियाणा ।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 30 नवम्बर, 2015.

राजेन्द्र कुमार नांदल,
सचिव।

53874—C.S.—H.G.P., Chd.